बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संचिका सं०–9/आ०–08–03/2010
संकल्प

निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्र सं0–एस0आर0–011/2010 निगरानी–154/अप0शा0 दिनांक 09.02.2010 एवं सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक 200 दिनांक 06.02.2010 द्वारा सूचति किया गया कि आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी को परिवादी श्री रामस्वरूप राम, पिता स्व0 क्षोरी राम सा0 तुलापट्टी थाना पिपरा जिला सुपौल की पतोहू श्रीमती मंजू भारती को ममता कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु श्री रामस्वरूप राम से 5000/– रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा गठित धावा दल द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया।

02. डा0 जवाहर लाल प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा, सुपौल सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 273(9) दिनांक 09.03.2010 द्वारा दिनांक 04.02.10 के प्रभाव से निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं0 382(9) दिनांक 09.04.2010, संशोधित संकल्प सं0 1047(9) दिनांक 06.09.2010, 722(9) दिनांक 11.08.2011 एवं 285(9) दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

03. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की छायाप्रति विभागीय पत्रांक 432(9) दिनांक 16.06.2014 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया जाना सरकारी आदेश की अवहेलना है तथा इस बात को मानने के लिये पर्याप्त साक्ष्य है कि डा0 प्रसाद को अपनी सफाई में अब कुछ नहीं कहना है।

04. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में प्रमाणित आरोप पाये गये है, तथा प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 432(9) दिनांक 16.06.2014 के द्वारा आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

05. आरोप तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत डा0 जवाहर लाल प्रसाद द्वारा रिश्वत लेने का आरोप एवं कदाचार करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग– V नियम 14 के परन्तुक के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(ix) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य के अनुमोदनोंपरान्त विभाग ने श्री प्रसाद को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

06. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने पत्रांक 1759 (लो0से0आ0) दिनांक 08.10.2015 (परिशिष्ट–1) द्वारा डा0 जवाहर लाल प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एच0सी0,

पिपरा (सुपौल) सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय सिविल सर्जन, सहरसा को सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

डा0 जवाहर लाल प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा (सुपौल) सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जघन्य अपराध एवं कदाचार में दोषी पाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। डा0 प्रसाद को निलंबन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 334(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 28/07/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा, क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल सहरसा/सारण/ सिविल सर्जन कार्यालय सुपौल/सहरसा /छपरा /संबंधित कोषागार पदाधिकारी सुपौल/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 जवाहर लाल प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा, सुपौल सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 1759 दिनांक 08.10.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx